न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– करतारसिंह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 25/2022
आरसीएमएस नं. 2022/25

कृष्ण लाल पुत्र स्व0 ीाजनी देवी पुत्री चेतराम पत्नी महावीर जाति जाट निवासी 7 के.के.एम. न्यौलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। – अपीलान्ट

बनाम

नरेश कुमार पुत्र शेर सिंह जाति जाट निवासी मटोरिया तहसील रातवसर जिला हनुमानगढ।

2. हरदीप सहि पुत्र साहबराम
3. परमेश्वरी पत्नी चेतराम
4. शेर सिह पुत्र चेतराम
5. सहबराम पुत्र चेतराम
6. सिलोचनापुत्री चेतराम

} जाति जाट निवासी मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

7. संतरो पुत्री चेतराम पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी 45 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

8. सुखदेव सिंह पुत्र शेर सिंह
9. संदीप कुमार पुत्र साहबराम
10. मैना देवी पुत्री साहबराम
11. सोनी पुत्री साहबराम

} जाति जाट निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

12. कृष्णा पुत्री साहबराम पत्नी हाकमराम जाति जाट निवासी चांदोड़ी बड़ी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
13. कृष्णा पुत्री साहबराम पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी डबलीकला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। – रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी सहायक कलक्टर रावतसर
दिनांक 27.12.2019 प्रकरण संख्या 502/2019
बअनवानी नरेश कुमार बनाम चेतराम आदि

श्री देवदत्त भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 व 2
श्री विश्वजीत सिह अधिवक्ता रेस्पे0 सं0 4
श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता रेस्पे0 सं0 6, 7
श्री पवित्र सिंह खोसा अधिवकत रेसपे0 सं0 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 13
श्री खुशप्रीत सिह अधिवक्ता रेसपेडेण्ट सं0 2, 8

निर्णय दिनांक – 16.02.23

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया, जिसमें चक 2 एनडब्ल्यूडी की 11.687 है0 में मत्त हिस्सा अर्थात 5.843 है0 चक 8 एलडब्ल्यूडी की 13.840 है0 में 1/2 की 6.920 है0 भूमि को संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति होनाबर बताकर घोषणा का वाद पेश किया। वाद पत्र में वर्णितानुसार पक्षकारों को खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष मांगा। रेस्पोडेण्ट सं0 3 ता 13 का इकबालदावा पेश होने एवं पक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश करने पर विचारण न्यायालय ने डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के साथ पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में वर्णित स्व0 चेतराम के धारण की भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति है। अपीलाधीन निर्णय के द्वारा स्व0 चेतराम के धारण की भूमि का उसकी पत्नी परमेश्वरी व चार पोतों प्रत्येक को 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित किया गया है। वाद में स्व0 चेतराम के दो पुत्र व दो पुत्रियां एवं स0 चेतराम की पत्नी परमेश्वरी एवं दोनों पुत्रों को वारिसान को वाद में पक्षकार बनाया जबकि अपीलाण्ट की माता स्व0 भजनी देवी पत्नी महावीर, स्व0 चेतराम की पुत्री थी। इस तथ्य को अपीलाण्ट ने न्यायालय जिलाधीश श्री गंगानगर में लम्बित प्रकरण की सत्यप्रतियां व स्व0 भजनी देवी के मुत्यु प्रमाण–पत्र परिवार के बहीभाट राव

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

प्रीतमसिंह के प्रमाण–पत्र से साबित है। रेस्पोडेण्ट ने स्व0 भजनी देवी को चेतराम की पुत्री होने से इंकार किया है। इसलिए इस तथ्य को साबित करने का भार रेस्पेडेण्ट पर ही होगा, परन्तु रेस्पोडेण्ट ने इस तथ्य को साबित करने हेतु कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। धारा–6 हिन्दू उतराधिकार अधिनिय में दिनांक 09.09.2005 को किये गये संशोधन के पश्चात् पुत्री को पुत्र के समान ही संयुक्ज परिवार की सहदायिक माना गया है व पैतृक सम्पति में पुत्री का जन्म से हिस्सा होगा इसकी मृत्यु पिता से पूर्व हो चुकी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 में किये गये संशोधन के पश्चात् लड़की को कोपार्सनर का अधिकार प्रदान करता है व उसको कोपार्सनर सम्पति में वही अधिकार प्राप्त होगा जो एक पुत्र को प्राप्त होता है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के द्वारा मृतक चेतराम की पत्नी परमेश्वरी देवी रेस्पोडेण्ट संख्या 3 को वादग्रस्त भूमि में बतौर सहदायिक 1/5 हिस्सा का हकदार घोषित किया है परन्तु हिन्दू उतराधिकार अधिनियम व राजस्थान कातश्कारी अधिनिमय के तहत पति के जीवनकाल में संयुक्त परिवार की सम्पति में घोषणा नहीं करवा सकती। अधीनस्थ न्यायलाय ने राजीनामा व इकबालदावा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय किया गया है परन्तु राजीनामा न तो पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया गया व न ही तस्दीक किया गया है। अपील में रेस्पोडेण्ट संख्या 6 व 7 जो स्व0 चेतराम की पुत्रीयां है। ने इकबालदावा को अस्वीकार किया व आदेश 41 नियम 22 सीपीसी के तहत क्रॉस आब्जेक्शन प्रस्तुत करके चेतराम की भूमि में अपना हिस्सा की घोषणा चाही है इसलिए डिक्री खारिज योग्य है। राजीनामा आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के तहत विधिवत नहीं है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे। अपीलाधीन निर्णय से अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार है। अतः धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2021 (3) पेज 842, आरबीजे 1998 पेज 215, आरआरडी 1991 पेज 392, आरआरटी 2017 (1) पेज 415, आरआरडी 1997 पेज 287, आरआरडी 1994 पेज 215, आरआरटी 2022 (1) पेज 493, आरबीजे 2018 पेज 42, आरआरटी 2002 पेज 648, आरआरटी 2002 पेज 648, डीएनजे 2015 एससी पेज 592, आरआरटी 2014 (2) पेज 1165, आरआरटी 2018'19 सुप पेज 524, आरबीजे 199 (1) पेज 44, डीएनजे 2012 एसवसी पेज 89, आरबीजे

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

2018 पेज 725, आरआरडी 1992 पेज 596, आरबीजे 2020 पेज 235 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है। अपीलाण्ट का स्व0 चेतराम या उनकी कृषि भूमि से काई सरोकार नही है ना ही अपीलाट स्व0 चेतराम दोहिता है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेट संख्या 1 ता 3 व 8, 9 को पूर्णतः विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। अपीलाण्ट विचारण न्यायालय के समक्ष आवश्यक पक्षकार नही था इसलिए अपीलाट को पक्षकार नही बनाया गया है। अपीलाण्ट द्वारा स्व0 चेतराम के वारिस होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किया है। अपीलाण्ट द्वारा झूठे व गलत तथ्यों के आधार पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 570/2021 प्रलिस थाना रावतसर में अन्तर्गत धारा 420, 417, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज करवाई थी जिसमें अपीलट से अपनी बात को साबित करने हेतु दस्तावेज पेश करने बाबत कहा गया था परन्तु अपीलाण्ट द्वारा अपनी बात के समर्थन में दस्तावेज पेश करने में असफल रहने तथा जांच अधिकारी द्वारा प्रकरण को झूठा मानकर एफआर पेश की है। अपीलांट का कोइ हक व हिस्सा नही है ना ही अपीलाण्ट स्व0 चेतराम की आराजी में किसी प्रकार की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्टान को तंग, हैरान परेशान करने के लिए मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है। अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलाण्ट ने मियाद बाहर अपील पेश की है। विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

5. रेस्पोडेण्ट संख्या 6 व 7 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 ने आदेश 41 नियम 22 सीपीसी के मे अंकित तथ्यों पर बहस करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट अपने पिता से मिलने के लिए गांव रामपुरा मटोरिया आई हुई थी व प्रार्थीयान के पिता स्व0 चेतराम की तबीयत खराब होने के कारण दो तीन दिन वहां रामपुरा मटोरिया मे रूकी थी तब प्रार्थीयान के भाई शेर सिह व साहबराम प्रार्थीयान व परिवार के अन्य सदस्यों को रावतसर लेकर गये थे प्रार्थीया अनपढ व ग्रामीण परिवेश की औरत है। प्रार्थीया को बिना बताये ही कई कागजों पर हस्ताक्षर करवाये प्रार्थीया को विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत वाद की कोई जानकारी नही थी। अपील मे नोटिस जारी होने पर दिनांक 13–6–2022 को जानकारी हुई। तब बिना किसी देरी के प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 22 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 के पिता छः माह से बीमार थे व अपने भले बुरे का कोई ज्ञान नही था। चेतराम को बिना बताये ही कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिये दावा के सभी पक्षकारो के हस्ताक्षर करवाकर राजीनामा प्रस्तुत कर दिया परन्तु इकबाल दावा व राजीनामा व शपथ पत्र मे पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश नही किया गया। राजीनामा तस्दीक नही किया गया। राजीनामा मे आक्षेपकर्ता द्वारा अपना हिस्सा अपने भाई के पुत्रों के पक्ष मे तर्क करना मान कर वाद डिक्री किया गया है जबकि विरासतन मे प्राप्त भूमि मे अपने भाई के पुत्रों के पक्ष मे तर्क करने का आदेश प्रावधान नही है। अपीलाधीन आदेश मे वर्णित भूमि के सम्बध मे हमने अपना हिस्सा तर्क नही किया है हमारे पिता का देहान्त हो चुका है उनके हिस्सा की भूमि मे स्व0 चेतराम के वारिसों का बहिस्सा बराबर प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है इसी अनुसार घोषणा की जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 22 सीपीसी स्वीकार किया जाये।

6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया।
7. अपीलाट द्वारा धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके बतौर प्रभावित पक्षकार अपील प्रस्तुत की है प्रार्थना पत्र मे स्वयं को मृतक प्रतिवादी चेतराम की पुत्री स्व0. भजनी का पुत्र होने के आधार पर स्वयं को स्व0 चेतराम की भूमि मे 1/6 हिस्सा का हकदार होना बताया है रेस्पोडेन्ट ने जवाब प्रार्थना पत्र मे स्व0 भजनी को चेतराम की पुत्री होने से इन्कार किया है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी पी सी के साथ न्यायालय सेशन न्यायाधीश श्रीगंगानगर मे प्रस्तुत याचिका जगदीश बनाम भजनी देवी याचिका संख्या 236/82 मे मूल याचिका, स्व0 चेतराम द्वारा प्रस्तुत याचिका का जवाब व न्यायालय मे चेतराम द्वारा दी गई साक्ष्य की सत्य प्रति प्रस्तुत की है जिसमे स्व0 चेतराम ने भजनी देवी को अपनी पुत्री होना स्वीकार किया है। उक्त दस्तावेजो की सत्य प्रति से यह तथ्य साबित है कि अपीलांट की माता स्व0 भजनी देवी वाद के मृतक प्रतिवादी चेतराम की पुत्री थी व हिन्दू उतराधिकार अधिनियम मे किये गये संशोधन दिनांक 9–9–2005 के पश्चात् संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति मे पुत्री को जन्म से हक होना निर्धारित किया गया है। इसलिये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सी पी सी व आदेश 41 नियम 27 सी पी सी स्वीकार किये जाते है।
8. अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–12–2019 के विरूद्ध अपील दिनांक 27–1–2022 दफा 5 व 14 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

है रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करके अपील मियाद बाहर होने के आधार पर खारिज करने का कथन किया है। अपीलांट वाद के मृतक प्रतिवादी चेतराम की पुत्री भजनी का पुत्र है व वाद मे आवश्यक पक्षकार था अपीलांट को वाद मे पक्षकार नही बनाया इसलिये अपीलांट ने जानकारी की दिनांक से अपील पेश की हे अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र मे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अगस्त 2021 मे होने व जानकारी के पश्चात् दिनांक 23–9–2021 को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रावतसर मे दण्ड प्रकिया संहिता के तहत इस्तगासा करना एवं दिनांक 4–1–2022 को फौजदारी प्रकरण मे प्रकरण को सिविल नेचर का होने के आधार पर एफ आर लगाने के पश्चात् दिनांक 11–1–2022 को फौजदारी प्रकरण की नकल आदि प्राप्त करके अभिभाषक की राय से दिनांक 27–1–2022 को अपील प्रस्तुत की है अपीलांट ने निर्णय की जानकारी व अन्य न्यायालय मे कार्यवाही करने के आधार पर मियाद मे छूट प्राप्त करने का निवेदन किया है। यह तथ्य साबित है कि अपीलांट वाद के प्रतिवादी चेतराम का वारिस है व उसके धारण की भूमि मे 1/6 हिस्सा का हकदार है इसलिये अपील मे गुणावगुण पर उचित आधार है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के अनुसार भी मियाद तकनीकी आधार पर अपील अखारिज करने का निर्धारण किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी मिसलेनीयस एप्लीकेशन संख्या 29/2022 मे दिनांक 8–3–2021 से 28–2–2022 तक मियाद अवधि मे छूट प्रदान की है इसलिये अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी माफ की जाकर अपील अंदर मियाद मानी जाती है।

9. विचारण न्यायालय द्वारा वाद के मूल प्रतिवादी मृतक चेतराम के धारण की भूमि चक 2 एन डबल्यू डी की 11.687 है0 मे 1/2 हिस्सा 5.843 है0 व चक 8 एन डबल्यू डी की 13.840 है0 मे 1/2 हिस्सा 6.920 है0 भूमि को पैतृक सम्पति होना मानकर वाद मे राजीनामा एवं वाद के प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबाल दावा के आधार पर स्व0 चेतराम की पत्नी परमेश्वरी देवी एवं चार पोतों को बहिस्सा बराबर प्रत्येक को 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित किया है। विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत वाद मे अंकित सजरा खानदान मे स्व0 चेतराम के केवल मात्र दो पुत्रीयां सिलोचना रेस्पोडेन्ट संख्या 6 एवं संतरो रेस्पोडेन्ट संख्या 7 होना बताया है जबकि अपीलांट की माता स्व0 भजनी देवी स्व0 चेतराम की पुत्री थी इस तथ्य को स्व0 चेतराम ने न्यायालय सेशन न्यायाधीश श्रीगंगानगर मे हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत प्रस्तुत याचिका जगदीश चन्द बनाम भजनी देवी याचिका

राजस्व अपील प्राधिकारी
अनूपगढ़

संख्या 236/82 मे स्व0 चेतराम द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा व साक्ष्य से साबित है। अपीलांट स्व0 भजनी देवी का पुत्र है इसलिये वाद मे आवश्यक पक्षकार था विचारण न्यायालय मे वाद दिनांक 27–12–2019 को डिक्री किया गया है हिन्दू उतराधिकार अधिनियम मे दिये गये संशोधन दिनांक 9–9–2005 के पश्चात् पुत्री को पैतृक सम्पति मे जन्म से हक व हिस्सा माना गया है वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति होने के सम्बध मे कोई विवाद नही है इसलिये अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे वर्णित भूमि मे हकदार है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 1994 पेज सं0 3 मे यह निर्धारित किया गया है कि पुत्री अपने पिता की पैतृक सम्पति मे अधिकारी होगी, पुत्री की मृत्यू पिता से पूर्व मे होने पर पैतृक सम्पति मे उसके अधिकार समाप्त नही होगे। न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2020 पृष्ट 233 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 16 व 18 पैतृक सम्पति मे अधिकारो की घोषणा हेतु वाद मे पुत्री आवश्यक पक्षकार है हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 मे 2005 मे किये गये संशोधन के पश्चात् पुत्री भी सहदायिकी सम्पति मे हकदार होगी। इस प्रकार स्व0 भजनी देवी पुत्र चेतराम की मृत्यू के पश्चात् अपीलांट प्रथम श्रेणी का वारिस होने के कारण वाद मे पक्षकार था व स्व0 चेतराम के हिस्सा की भूमि मे उसके जीवन काल मे 1/5 हिस्सा का हकदार था। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्ण्य के द्वारा स्व0 चेतराम की पत्नी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 परमेश्वरी देवी को 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित किया है जबकि परमेश्वरी देवी का स्व0 चेतराम के जीवनकाल मे उसके धारण की पैतृक सम्पति मे घोषणा करने का कोई प्रावधान हिन्दू उतराधिकार अधिनियम मे नही है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर आर डी 1992 पृष्ठ 596 के अनुसार भी संयुक्त परिवार की सम्पति है पति के जीवन काल मे पत्नी अपना हिस्सा घोषित नही करवा सकती। वाद के मूल प्रतिवादी चेतराम का निर्णय व डिक्री के पश्चात् देहान्त हो चुका है। विचारण न्यायालय मे मृतक प्रतिवादी चेतराम व उसके पुत्र शेर सिह रेस्पोडेन्ट संख्या 4 एवं सुखदेव सिह रेस्पोडेन्ट संख्या 8 ने अपना हक व हिस्सा मे चक 8 एन डबल्यू डी की अन्य भूमि रखना बताया है परन्तु पत्रावली मे इस सम्बध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही है जिससे साबित हो कि स्व0 चेतराम के धारण मे चक 8 एन डबल्यू डी मे अन्य भूमि है या नही इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य बनती है एवं अपील अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 सिलोचना एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7 संतरो द्वारा प्रस्तुत प्रत्याक्षेप आवेदन पत्र/कोस ऑबजेक्शन स्वीकार योग्य बनते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

10. उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27–12–2019 निरस्त की जाकर पत्रावली विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाकर अपीलांट कृष्ण लाल एवं रेस्पोडेन्ट सिलोचना व संतरो को जवाब एवं साक्ष्य का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। मृतक चेतराम की मृत्यू होने के कारण उसके वारिस नियमानुसार विरासतन की कार्यवाही करवाने हेतु भी स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 16.02.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

16/2/23

(करतार सिंह पूनियाँ)
राजस्व अपील प्राधि.
आर.ए.एस.
हनुमानगढ़
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner